

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बस्ती में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-80/1-10-2014-12(65)/2013, दिनांक 31.01.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित सिंचाई विभाग के 46 कार्यों हेतु रू० 1699.46 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू० 849.73 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-841/आ०लि०/2014-15, दिनांक 06.01.2015 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये उक्त 46 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू० 8,49,73,000/- (रूपये आठ करोड़ उन्चास लाख तिहत्तर हजार मात्र) द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	कार्य/परियोजना का नाम	आगणन की धनराशि (लाख रू० में)
1	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 0.620 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	47.51
2	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 0.675 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	43.78
3	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 0.750 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	43.78
4	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 0.810 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	47.51
5	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 0.890 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	48.99
6	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 01.025 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	46.66
7	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 01.100 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	47.51
8	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 01.360 पर निर्मित स्टड के पुनर्स्थापना कार्य।	46.66
9	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी० 7.400 पर स्थित डैम्पनर के पुनर्स्थापना का कार्य	24.79
10	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी० 8.600 पर स्थित स्पर के अपस्ट्रीम के चैनैज 175 से 200 मी० के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य	21.58
11	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी० 8.600 से 8.800 के मध्य स्थित 07 न० कटर के पुनर्स्थापना का कार्य	49.79
12	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी० 8.800 से 8.900 के मध्य स्थित 04 न० कटर के पुनर्स्थापना	29.09

	का कार्य	
13	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 8.950 से 9.450 के मध्य स्थित लांचिंग एप्रेन के पुनर्स्थापना का कार्य	42.77
14	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.00 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य	28.98
15	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.00 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य	44.16
16	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.340 पर स्थित स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य	18.82
17	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.450 से 10.750 के मध्य स्थित 05 नं० कटर के पुनर्स्थापना का कार्य	36.27
18	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.750 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य	34.64
19	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य	34.78
20	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 से 11.035 के मध्य दो अदद शार्ट बोल्टर डिफलेक्टर के पुनर्स्थापना का कार्य	39.37
21	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.450 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना का कार्य	49.91
22	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के नोज की पुनर्स्थापना का कार्य	49.77
23	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के डाउन स्ट्रीम लांचिंग एप्रेन अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम पर स्लोप पिचिंग के पुनर्स्थापना का कार्य	47.59
24	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 11.150 पर स्थित स्पर के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम लांचिंग एप्रेन के पुनर्स्थापना का कार्य	48.67
25	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.750 पर स्थित स्पर के अप स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य	49.75
26	विक्रमजोत-धुसवा तटबन्ध के किमी0 10.925 पर स्थित स्पर के अप स्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य	39.26
27	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 3.700 से 04.200 के मध्य कन्ट्री साइड के तटबन्ध के पुनर्स्थापना का कार्य।	29.33
28	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी0 0.500, 2.400, 3.700, 4.400, 8.00 तथा 12.600 पर तटबन्ध के पुनर्स्थापना का कार्य।	37.61
29	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.400 से 2.600 के मध्य बम्बू के द्वारा अस्थायी कटर निर्माण की परियोजना का कार्य।	37.57
30	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.035 एवं 2.065 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	38.51
31	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.035 एवं 2.065 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	38.71
32	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.135 एवं 2.165 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.81
33	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.335 एवं 2.365 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.63
34	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.535 एवं 2.565 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.91
35	काशीपुर-दैवौलिया तटबन्ध के किमी0 2.435 एवं 2.465 पर मिर्जापुर स्टोन बोल्टर से कटर द्वारा सुरक्षा कार्य की परियोजना।	39.49
36	कटरिया-चौदपुर तटबन्ध के किमी0 4.000 से 5.400 के मध्य रैम्प बनाने एवं सोलिंग का कार्य।	20.31
37	कटरिया-चौदपुर तटबन्ध के किमी0 0.000 से 4.000 के मध्य रैम्प बनाने एवं सोलिंग का	39.68

	कार्य।	
38	चांदपुर-गौरा तटबन्ध के किमी० 0.000 से 4.000 के मध्य रैम्प मरम्मत का कार्य।	35.05
39	चांदपुर-गौरा तटबन्ध के किमी० 0.000 से 0.800 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	23.52
40	चांदपुर-गौरा तटबन्ध के किमी० 1.200 से 1.800 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	22.55
41	चांदपुर-गौरा तटबन्ध के किमी० 0.600 से 1.200 के मध्य पुनर्स्थापना का कार्य।	23.28
42	हरैया-पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी० 0.800 से 1.200 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	14.30
43	हरैया-पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी० 1.200 से 1.800 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	19.74
44	हरैया-पन्डूल घाट तटबन्ध के किमी० 9.000 से 9.200 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	10.88
45	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 13.200 पर निर्मित स्पर के अपरस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	43.63
46	गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी० 13.200 पर निर्मित स्पर के डाउनस्ट्रीम के पुनर्स्थापना का कार्य।	43.63
		1699.46

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

- 5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
- 6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।
- 7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- 9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भाषदीया,
(लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:-46(1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।